

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 131 / 2013 / जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या-174 / 2010 / जोधपुर)
2. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 132 / 2013 / जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या-175 / 2010 / जोधपुर)

मैसर्स शक्ति एन्टरप्राइजेज (प्रा0) लिमिटेड, ई-69,
इण्ड0 एरिया, फेज-I, बाड़मेर रोड, बोरानाड़ा, जोधपुर.

.....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-प्रथम, जोधपुर.

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एम. मेड़तिया, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रार्थी की ओर से

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17 / 04 / 2015

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा उक्ते दोनों संशोधन प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 174 / 2010 एवं 175 / 2010 / जोधपुर में एकलपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 04.04.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं। इन दोनों प्रार्थना-पत्रों में पक्षकार एक विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय को प्रांते प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07 की प्रथम व द्वितीय तिमाही के दौरान मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी से माल क्रय किया जाकर, इस पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. क्लेम किया गया, जबकि उक्त फर्म का पंजीयन दिनांक 08.01.2007 को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.04.2006 से निरस्त किया जा चुका है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-प्रथम, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये वैट अधिनियम की धारा 25, 55, 58 व 61 के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.5.2008 को पारित करते हुए मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी को चुकाये गये वैट के सम्बन्ध में चाहे गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया एवं तदनुसार ब्याज भी आरोपित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर

मनोहर पुरी

लगातार.....

जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 20.10.2009 से अस्वीकार किये जाने के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपीलें संख्या क्रमशः 174/2010 व 175/2010 प्रस्तुत की गयीं, जो माननीय एकलपीठ के सन्दर्भित आदेश दिनांक 04.04.2013 से अस्वीकार की गईं। माननीय एकलपीठ के उक्त आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थी द्वारा ये परिशोधन प्रार्थना-पत्र वेत अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा अपील सुनवाई के समय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2010) 27 टैक्स अपडेट 109 विजय ट्रेडर्स प्रकरण को उद्धरित किया गया था, जिसके तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया समान थे, जिसे अमान्य किये जाने में भी माननीय एकलपीठ द्वारा त्रुटि की गयी है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रार्थी की अपील संख्या 174/2010 व 175/2010 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया -

- (1) (2010) 27 टैक्स अपडेट 109 (रा.क.बो.)
- (2) (2011) 15 वेट रिपोर्टर 118 (रा.क.बो.)
- (3) (2013) 19 वेट रिपोर्टर 236 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर
- (4) (2011) 15 वेट 18
- (5) (1998) 109 एस.टी.सी. 439 (एस.सी.) स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा बनाम सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी
- (6) (2007) 295 आई.टी.आर. 466 (एस.सी.) होंडा सिएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स

4. अप्रार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय एकलपीठ के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं वेत अधिनियम के प्रावधानों का समुचित विश्लेषण करते हुए प्रार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड के सन्दर्भित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेत अधिनियम की धारा 33 के तहत सचेतन मस्तिष्क से पारित निर्णय को संशोधित नहीं किया जा सकता। उक्त धारा के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही संशोधनीय है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील

नमोराज

लगातार.....

संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मत्तल प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] का हवाला देते हुए प्रार्थी के संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाने पर जोर दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों एवं उद्धरण न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. इन प्रकरणों में माननीय एकलपीठ द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 04.04.2013 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रार्थी द्वारा मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी से विवादित माल क्रय किया जाना दर्शाया गया है, जबकि मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जा चुका था तथा मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कोई वैट राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था। माननीय एकलपीठ द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। वेट अधिनियम की धारा 18(2) इस प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. -

(1)

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.


(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases -

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or



- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

उक्त प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी द्वारा पूर्व में चुकाये गये कर का आई.टी.सी. प्राप्त करता है, किन्तु उसे आई.टी.सी. का प्रतिदाय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि देय कर राजकोष में जमा होने का तथ्य पुष्ट ना हो जाये। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता व्यवहारी का पंजीयन ही भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जा चुका था, तथा उसके द्वारा देय कर भी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय एकलपीठ द्वारा सचेतन मरिचक से प्रकरण के तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का समुचित विश्लेषण करते हुए प्रार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। संशोधन प्रार्थना-पत्र की आड़ में निर्णय पलटने की मांग किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय में संशोधन हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 व तहत ये परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वेट अधिनियम की धारा 33 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-


33. Rectification of a mistake. -

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. - A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) के सन्दर्भ में सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-



"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

9. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2013 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
13/04/2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य